विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-25/15</u>

मेसर्स जयगिरीराज राईस एण्ड एग्रो मिल प्रा.लि. — आवेदक
प्रो. श्री मुदित माहेश्वरी,
ग्राम—खापरखेड़ा तह. पिपरिया
जिला—होशंगाबाद (म.प्र.)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
पिपरिया, जिला—होशंगाबाद।

आदेश
(दिनांक 02.01.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक T/B/34 मेसर्स जयगिरीराज राईस एण्ड एग्रो मिल प्रा.लि. विरूद्ध उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. पिपरिया में पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00—25/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 23.12.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 23.12.2015 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 18.8.2015 के प्रतिपालन में उपभोक्ता को माह फरवरी 2014 व मार्च 2014 के विद्युत देयकों को पुनरीक्षित कर उपभोक्ता से ली गई अधिक राशि रूपये 49877/— का समायोजन दिया जा रहा है तथा अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 तक की अवधि में आवेदक के विरूद्ध की गई बिलिंग नियमानुसार सही है।

04 आवेदक द्वारा दिनांक 16.12.2015 को सुनवाई के दौरान फरवरी 2014 व मार्च 2014 में अधिक राशि वसूल करने के विरूद्ध दिये गये समायोजन से अपनी सहमति दर्शाई गई तथा अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 तक की गई बिलिंग का पुनः मिलान करने हेतु समय चाहा था।

05 दिनांक 23.12.2015 को अनावेदक की ओर से पुनः अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अपने स्तर पर भी अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 तक की बिलिंग पुनः चैक की गई तथा पाया गया कि आवेदक के विरूद्ध की गई बिलिंग पूर्णतः नियमानुसार है। सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। परन्तु दूरभाष पर आवेदक की अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा उक्त अवधि में की गई बिलिंग से वे सहमत हैं एवं फरवरी 2014 व मार्च 2014 में विभाग द्वारा ली गई अधिक राशि रूपये 49877/— का समायोजन आवेदक को दिया जा रहा है, अतः अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

उपरोक्त कथन की पुष्टि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा फैक्स द्वारा दिनांक 23.12.2015 को की गई। अतः फोरम के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल